

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(2) के अंतर्गत अपील

आईडी सं.....

(कार्यालय के प्रयोग के लिए)

सेवा में,

केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी

वैकल्पिक केंद्रीय जनसूचना अधिकारी

1. अपीलकर्ता का नाम :
2. पता :
3. आईडी न. :
4. अपील करने का कारण* :

स्थान:

दिनांक:

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

ईमेल पता, यदि कोई हो.....

दूरभाष सं. (कार्यालय).....

(आवास).....

डाक का पता

* अपील करने के कारण विशेष रूप से तृतीय पक्ष के रूप में आपसे संबंधित सूचना होनी चाहिए और आपकी अनुमति के बिना सीपीआईओ द्वारा प्रकट किया जाना चाहिए।